प्रेस नोट
दिनांक 16.03.2025, थाना कोतवाली नगर
जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण कर 03 हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, निशानदेही पर आलाकत्ल 01 अदद गड़ासा बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 191/25, धारा- 103(1), 238 बीएनएस से सम्बन्धित 03 आरोपी हत्याभियुक्तों 01. अक्षय कोरी, 02. मनोज कुमार कोरी, 03. संजय कुमार कोरी को महादेवा ओवरब्रीज के नीचे से गिरफ्तार कर उसके निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद गड़ासा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत ग्राम दत्तनगर विशेन में दिनांक 15.03.2025 की शाम को एक व्यक्ति का शव खेत में मिलने की सूचना पर स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मृतक की पहचान इंद्रभान सिंह उर्फ छोटू सिंह उम्र 25 वर्ष पुत्र हीरा सिंह नि० ग्राम दत्तनगर विशेन थाना को० नगर गोण्डा के रूप में हुई। परिजनों द्वारा बताया गया कि इंद्रभान दिनांक 11.03.2025 से गायब था । शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। फील्ड यूनिट/डॉग स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। मृतक के पिता हीरा सिंह के लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में मु0अ0सं0- 191/25, धारा 103(1), 238 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पुलिस एसओजी/सर्विलांस सहित कुल 04 टीमों का गठन कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 16.03.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल एवं तकनीकी साक्ष्य संकलन के आधार पर घटना की सूचना के मात्र 24 घंटों के भीतर 03 आरोपी हत्याभियुक्तों 01. मनोज कुमार कोरी, 02. संजय कुमार कोरी, 03. अक्षय कोरी को महादेवा ओवरब्रीज के नीचे से गिरफ्तार कर उसके निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद गड़ासा बरामद किया गया। साक्ष्य व आलाकत्ल गड़ासा बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई। गिरफ्तार हत्याअभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि मृतक (इंद्रभान सिंह उर्फ छोटू सिंह) से दोस्ती थी और साथ रहकर पेंटिग आदि का कार्य करते थे तथा एक दुसरे के घर आना जाना था। उसी दौरान मृतक का प्रेम-प्रसंग अभियुक्तों के बहन से चलने लगा जिसकी जानकारी अभियुक्तों को हो गयी । मृतक इन्द्रभान अभियुक्तों के सामने ही फोन पर बाते किया करता था और शादी करने का दबाव बना रहा था। काफी समझाने के पश्चात् भी बात न मानने पर अभियुक्तों द्वारा क्षुब्ध होकर मृतक इंद्रभान को जान से मारने की योजना बनाई तथा अभियुक्तगण एक राय होकर मृतक के साथ शराब पीने के बाद नशे की हालत में योजनाबद्ध तरीके से पास में रखे गड़ासा से गले पर वार करके हत्या कर शव को पास के गेहूँ के खेत में छिपाकर मौके से फरार हो गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. मनोज कुमार कोरी पुत्र धनीराम निवासी खैरा भवानी मन्दिर के पीछे थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

02. संजय कुमार कोरी पुत्र धन्नीराम कोरी निवासी खैरा भवानी मन्दिर के पीछे थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

03. अक्षय कोरी पुत्र ननकऊ कोरी निवासी खैरा भवानी मन्दिर के पीछे थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 191/25, धारा 103(1), 238, 3(5) बीएनएस, 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद गड़ासा बरामद।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. श्री संतोष कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

02. उ0नि0 रजनीश द्विवेदी

03. उ0नि0 उदित कुमार वर्मा

04. का0 दीपक सिंह

05. का0 अनिल यादव

06. का0 शशांक द्विवेदी

मीडिया सेल, गोण्डा।